

प्रेषक,  
कृषि निदेशक  
उत्तराखण्ड

सेवा में,  
महानिदेशक  
सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग,  
रिंग रोड, देहरादून।

पत्रांक : क०१०/ / पंजीकरण / कृषि यंत्र / 2018-19 / दिनांक— २९ नवम्बर, 2018.

विषय: कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों के मूल विनिर्माताओं के पंजीकरण हेतु विज्ञप्ति के प्रकाशन विषयक।

महोदय,

आपको इस निदेशालय द्वारा कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों के मूल विनिर्माताओं के पंजीकरण हेतु विज्ञप्ति इस अनुरोध के साथ सलांगन कर प्रेषित की जा रही है कि कृपया इस पंजीकरण सूचना को न्यूनतम पठनीय साईज अथवा संलग्न साईज में अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान एवं उत्तर उजाला हिन्दी संस्करण में तत्काल प्रकाशित करने का कष्ट करें। यहां यह भी स्पष्ट करना है कि उल्लेखित विज्ञप्ति अल्पकालिक है। इस विज्ञप्ति को नियमानुसार समयान्तर्गत प्रकाशित करने हेतु प्राथमिकता प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्न :- यथोपरि।

भवदीय,  
  
(गौरी शंकर)  
कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड

पत्रांक : ५१५३५७५३ / पंजीकरण / कृषि यंत्र / 2018-19 / दिनांकित।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. भंडार सहायक, कृषि निदेशालय, देहरादून।
2. कैशियर, कृषि निदेशालय, देहरादून।
3. श्री सुपर्ण सेमवाल, कनिष्ठ सहायक, कृषि निदेशालय को इस निर्देश के साथ कि पंजीकरण सम्बन्धी विज्ञप्ति को वेबसाईट: [www.uk.gov.in](http://www.uk.gov.in) तथा [www.agriculture.uk.gov.in](http://www.agriculture.uk.gov.in) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

कृषि निदेशक,  
उत्तराखण्ड।  
२९.११

## **कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून विज्ञप्ति**

**कृषि मशीनों/यंत्रों/उपकरणों के मूल विनिर्माताओं के सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु सूचना संख्या—1**

कृषि विभाग उत्तराखण्ड की विभिन्न अनुदानित योजनाओं के अन्तर्गत राज्य के कृषकों को वितरित किये जाने वाले यंत्रों/उपकरणों के ऐसे विनिर्माताओं (Original manufacturer) से सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र आमत्रित किये जाते हैं, जो कि आई०एस०आई०/बी०एस०आई०/FMTTI/किसी मान्यता प्राप्त संस्था से परीक्षित हों, मार्क यंत्रों का निर्माण करते हों अथवा इन यंत्रों को अपने रजिस्टर्ड ब्राण्ड नेम से विनिर्मित करते हों। प्रदायकों को सूचीबद्ध/पंजीकरण दिनांक से एक वर्ष तक के लिये किया जायेगा। सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्तें एवं आवेदन पत्र जिसका शुल्क ₹० २०००/- (रुपये दो हजार मात्र) होगा, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, नन्दा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून से किसी भी कार्य दिवस में दिनांक—**०६.१२.२०१८** तक (साथं ५.०० बजे तक) प्राप्त किये जा सकते हैं। तदनुसार दिनांक—**०७.१२.२०१८** को साथं ५.०० बजे तक सूचीबद्ध/पंजीकरण हेतु कृषि निदेशालय में जमा किये जा सकते हैं। जिन प्रदायकों के यंत्रों/उपकरणों का पंजीकरण पूर्व में (वर्ष २०१७–१८) हुआ है, साथ ही साथ जिनके द्वारा प्रपत्र पूर्व में उपलब्ध करा दिये गये हैं, उनको भी पंजीकरण प्रपत्र उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाईट [www.agrimachinery.nic.in](http://www.agrimachinery.nic.in) पर विनिर्माता सूचनाएं सीधे अपलोड भी करेंगे।

ह०/ कृषि निदेशक, उत्तराखण्ड।

## कृषि मशीन/यंत्र/उपकरण के सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु आवेदन पत्र

पंजीकरण फार्म संख्या.....

दिनांक.....

सील.....

मूल्य 2,000.00 ₹ प्रति फार्म (जी०एस०टी० सहित)

कृषि निदेशक  
उत्तरायण  
मार्ग  
पंजीयन

1. सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु प्रस्तावित यंत्र/उपकरण का नामः—.....
2. सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु प्रस्तावित यंत्र/उपकरण का नाम एवं ब्राण्ड यदि कोई हो तोः—
  - (1) ब्राण्ड नेम की बैद्यता तिथि.....
3. विनिर्माता फर्म के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक का नामः—.....
4. विनिर्माता फर्म का नाम व पूरा पता फैक्स/फोन नं० आदि सहितः—.....
5. सूचीबद्ध/पंजीयन हेतु प्रस्तावित यंत्र/उपकरण के मानक स्तर का विवरणः—  
आई०एस०आई० / बी०आई०एस०
  - (1) अधिकृत मार्क.....
  - (2) अधिकृत मार्क की संख्या.....
  - (3) अधिकृत मार्क की बैद्यता तिथि.....
  - (4) टेस्टिंग रिपार्ट जिसे कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की गयी है का विवरण  
यदि यंत्र/उपकरण पर लागू होता हो.....
6. पंजीयन हेतु प्रस्तावित यंत्र/उपकरण के विनिर्माण का विवरणः—
  - (1) (राज्य उद्योग विभाग, पंजीकरण प्रमाण पत्र)
  - (2) फैक्ट्री जहां स्थित है। राज्य/स्थान.....
  - (3) लाइसेंस संख्या व अन्तिम बैद्यता तिथि.....
7. यंत्र/उपकरण की सेल्फ लाईफ का विवरण.....
8. पंजीयन फार्म प्राप्ति हेतु जमा की गयी धनराशि का विवरण।  
अ— विभागीय कैश रसीद संख्या— (D-2).....  
ब— जमा की गयी धनराशि ₹0—.....
9. बैंक ड्राफ्ट/बैंक गारन्टी हेतु नामित बैंक का विवरणः—
  - (1) प्रकार.....
  - (2) बैंक का नाम .....
  - (3) संख्या एवं तिथि .....
  - (4) प्रदत्त बैंक गारन्टी ₹0.....

10. यंत्र / उपकरण की आपूर्ति का माध्यम / स्रोतः—  
(आपूर्ति जिस डिपो से की जायेगी उस डिपो धारक का नाम व डाक पता, फोन एवं फैक्स नं० अंकित करें).....
11. विनिर्माता फर्म का पैन नम्बर— .....
12. विनिर्माता फर्म केन्द्रीय जी०ए०टी० पंजीकरण संख्या— .....
13. विनिर्माता फर्म उत्तराखण्ड जी०ए०टी० कर पंजीयन संख्या—.....  
(पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें)
14. कार्य विनिर्माता फर्म के कार्य क्षेत्र का विवरण:- (1) सम्पूर्ण राज्य/चयनित जनपद (चयनित जिला हो तो उल्लेख किया जाये).....
15. वितरको को राज्य के जिलों में स्थापित नेटवर्क (अधिकृत विक्रेताओं की सूची जो यंत्र विक्रय के उपरान्त सेवा प्रदान करेंगे उनके विनिर्माता द्वारा अधिकृत प्रमाण—पत्र, पता एवं फोन नम्बर आदि का विवरण संलग्न किया जाये).....
16. क्या विनिर्माता फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है “हां” और “नहीं” में उल्लेख किया जाये (100.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का प्रमाण—पत्र सलंगन किया जाय).....
17. क्या विनिर्माता फर्म के विरुद्ध किसी केन्द्र शासित प्रदेश/प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही चल रही है/लम्बित है, अथवा निष्पादित हुई है, यदि हां तो पूर्ण विवरण दें.....

नोटः— 1. प्रत्येक बिन्दु से संबंधित प्रमाण पत्र/अभिलेख/कागजात की प्रतियां उपरोक्त कम में ही संलग्न की जायें।

2. प्रत्येक कृषि यंत्र/उपकरण हेतु अलग—अलग तकनीकी प्रपत्र भरा जाएगा।

निर्धारित पंजीयन हेतु शर्तों पर सहमति

मेरे द्वारा उपरोक्त सभी शर्तें भली—भौति पढ़ ली गयी हैं तथा मैं सभी शर्तों से पूर्णतया: सहमत हूँ।

विनिर्माता फर्म/प्रदायकर्ता/पंजीकरण प्राधिकारी के हस्ताक्षर.....  
पूर्ण पता.....

फोन नम्बर.....

फैक्स नम्बर.....

E-mail:.....

सील.....